भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2929
उत्तर देने की तारीख 20 दिसम्बर, 2023

गतिशक्ति संचार कार्यक्रम

2929. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गतिशक्ति संचार कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और मुख्य फोकस क्षेत्र क्या हैं; और

(ख) गतिशक्ति संचार पहल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और अवसंरचना की तैनाती में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ख)

- पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना के तीव्रतर रोल आउट को सरल बनाने के लिए किया गया प्रमुख सुधार है।
- यह एक केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) पोर्टल है जो दूरसंचार सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता (टीएसपी/आईपी/आईएसपी) जैसे आवेदकों को आरओडब्ल्यू अनुमोदन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, स्थानीय निकायों और मंत्रालयों की विभिन्न एजेंसियों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और टावर लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य दूरसंचार अवसंचरना की त्वरित संस्थापना के लिए मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमति की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाना है।

- यह पोर्टल सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों नामतः रेल मंत्रालय (एमओआर), सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से जुड़ा हुआ है।
- आरओडब्ल्यू आवेदनों की लंबितता की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए और आवेदनों के त्वरित निपटान में सहायता करने के लिए इनट्यूटिव डैशबोर्ड और रिपोर्ट तैयार करने हेतु मॉडर्न एडवांस्ड बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग किया गया है।
- आवेदन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आवेदकों को स्वचालित ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।
- पोर्टल राज्य-वार और जिले-वार प्रस्तुत किए गए आवेदनों और लंबित आवेदनों की उच्च स्तरीय निगरानी के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग और विश्लेषण करता है जिससे आवेदनों के निपटान के औसत समय में काफी कमी आई है।
- सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब ऑनलाइन भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। प्रक्रिया के मानकीकरण के कारण आवेदन अस्वीकृति के लिए व्यक्तिगत विवेक का दायरा कम हो गया है।
- आवेदनों का 60 दिनों की निर्धारित समय-सीमा में अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानद अनुमोदन की सुविधा शुरू की गई है।
- व्यावसायिक संस्थाओं के नामों का मानकीकरण करने से आवेदक की कंपनी के नाम में एकरूपता आई है और उद्योग जगत अब अपने आवेदन की सम्पूर्ण देशव्यापी स्थिति को देख सकता है।
- कुल मिलाकर इससे उद्योग भागीदारों को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की सुविधा मिली है।
- दिनांक 14.05.2022 (गतिशक्ति संचार पोर्टल के लांच की तारीख) से दिनांक 19.12.2023 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के लिए 1,42,201 आवेदनों का निपटान किया गया।

*****